न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 58 / 2025
निर्णय दिनांक : 30.05.2025
GCMS NO : 2025/98

1. महबूब अली पुत्र नानू खाँ जाति धोवी(मुस्लिम) निवासी ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
2. अब्दुल रशीद पुत्र मुन्ने खाँ जाति धोवी(मुस्लिम) निवासी ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
3. सारू खान पुत्र मुन्ने खाँ जाति धोवी(मुस्लिम) निवासी ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिरसु एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खाता संख्या 228 के खसरा संख्या 159 तादादी 1.9599 हैक्टेयर, खसरा संख्या 172 तादादी 3.0221 हैक्टेयर, खसरा नं 173 तादादी 4.6280 हैक्टेयर, खसरा नं. 176 तादादी 1.8967 हैक्टेयर, खसरा नं. 207 तादादी 4.9821 हैक्टेयर, खसरा नं. 211 तादादी 5.7155 हैक्टेयर, खसरा नं. 298 तादादी 12.3921 हैक्टेयर, खसरा नं. 812 / 150 तादादी 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नं. 813 / 150 तादादी 9.9643 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल तादादी 44.7124 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 229 में अंकित खेत ख.नं. 110 तादादी 6.7903 हैक्टेयर, खसरा नं. 149 तादादी 8.1054 हैक्टेयर, खसरा नं. 160 तादादी 10.9759 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 25.8716 वाके रोही ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (मुहर)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थीगण का नाम महबूबखां पुत्र नानू खां, रसीदखां पुत्र मुन्नेखां, शाहरूख खान पुत्र मुन्नेखां एवं सलीम पुत्र चान्दखाँ दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थीगण का वास्तविक व सही नाम महबूब अली पुत्र नानू खाँ, अब्दुल रशीद पुत्र मुन्ने खाँ, सारू खान पुत्र मुन्ने खाँ एवं सलीम मोहम्मद लिलगर पुत्र चाँद खाँ है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम जीली में प्रार्थीगण का नाम महबूबखां पुत्र नानूखां, रसीदखां पुत्र मुन्नेखां, सारूखां पुत्र मुन्नेखां, सलीम पुत्र चान्दखां दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के दस्तावेजों में नाम महबूब अली पुत्र नानूखां, अब्दुल रसीद पुत्र मुन्नेखां, शाहरूख खान पुत्र मुन्नेखां, सलीम मोहम्मद लिलगर पुत्र चान्दखां दर्ज है। महबूबखां एवं महबूब अली, रसीद खां एवं अब्दुल रसीद, सारूखां एवं शाहरूख खान, सलीम एवं सलीम मोहम्मद लिलगर एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण नाम महबूब अली पुत्र नानूखां, अब्दुल रसीद पुत्र मुन्नेखां, शाहरूख खान पुत्र मुन्नेखां, सलीम मोहम्मद लिलगर पुत्र चान्द खां किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग का छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का सही तथा वास्तविक नाम महबूब अली पुत्र नानूखां, अब्दुल रसीद पुत्र मुन्नेखां, शाहरूख खान पुत्र मुन्नेखां ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 228 के खसरा संख्या 159 तादादी 1.9599 हैक्टेयर, खसरा संख्या 172 तादादी 3.0221 हैक्टेयर, खसरा नं 173 तादादी 4.6280 हैक्टेयर, खसरा नं. 176 तादादी 1.8967 हैक्टेयर, खसरा नं. 207 तादादी 4.9821 हैक्टेयर, खसरा नं. 211 तादादी 5.7155 हैक्टेयर, खसरा नं. 298 तादादी 12.3921 हैक्टेयर, खसरा नं. 812/150 तादादी 0.1517

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

हैक्टेयर, खसरा नं. 813/150 तादादी 9.9643 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल तादादी 44.7124 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 229 में अंकित खेत ख.नं. 110 तादादी 6.7903 हैक्टेयर, खसरा नं. 149 तादादी 8.1054 हैक्टेयर, खसरा नं. 160 तादादी 10.9759 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 25.8716 वाके रोही ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज प्रार्थीगण का नाम महबूबखां पुत्र नानू खां, रसीदखां पुत्र मुन्नेखां, शाहरूख खान पुत्र मुन्नेखां के स्थान पर महबूब अली पुत्र नानूखां, अब्दुल रसीद पुत्र मुन्नेखां, शाहरूख खान पुत्र मुन्नेखां दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

ओमप्रकाश वर्मा
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)